

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आदेश

क्रमांक : पी.आई./

०५

/2020

दिनांक : ०३.०२.२०२०

निम्नलिखित अधिकारियों को उनके पदनाम के सम्मुख अंकित पारिवारिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के अनुपस्थित रहने या उनके अवकाश पर रहने की स्थिति में उक्त न्यायालयों का दैनिक एवं आवश्यक कार्य हेतु तुरन्त प्रभाव से अधिकृत किया जाता है :-

#### अजमेर

I

क्रम सं.	पारिवारिक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी	पारिवारिक न्यायालय जिस हेतु अधिकृत किया गया है
1	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 01, अजमेर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 02, अजमेर
2	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 02, अजमेर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 01, अजमेर

#### अलवर

II

क्रम सं.	पारिवारिक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी	पारिवारिक न्यायालय जिस हेतु अधिकृत किया गया है
1	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 01, अलवर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 02, अलवर
2	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 02, अलवर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 01, अलवर

#### भरतपुर

III

क्रम सं.	पारिवारिक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी	पारिवारिक न्यायालय जिस हेतु अधिकृत किया गया है
1	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 01, भरतपुर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 02, भरतपुर
2	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 02, भरतपुर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 01, भरतपुर


#### उदयपुर

IV

क्रम सं.	पारिवारिक न्यायालय का पीठासीन अधिकारी	पारिवारिक न्यायालय जिस हेतु अधिकृत किया गया है
1	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 01, उदयपुर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 02, उदयपुर
2	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 02, उदयपुर	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय क्रम 01, उदयपुर

नोट : सभी पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित रहने की स्थिति में पी.आई. संख्या 12/93 दिनांक 30.09.1993 का आदेश प्रभावी रहेगा ।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

क्रमांक : स्था. बी2(iv) 01/2012/ 746

दिनांक 03.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर ।
3. महालेखाकार, जयपुर (राजस्थान) ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/रजिस्ट्रार(सर्तकता)/ रजिस्ट्रार(प्रशासन)/ रजिस्ट्रार(नियम)/ रजिस्ट्रार(वर्गीकरण)/ रजिस्ट्रार(परीक्षा)/ ओ.एस.डी (एफ.एण्ड आई.), राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
5. रजिस्ट्रार एवं प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधीश, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
6. समस्त निजी सचिव, माननीय न्यायाधिपति, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर ।
7. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि इस आदेश की प्रतिलिपि सभी माननीय न्यायाधिपति महोदयों को उनके निजी सचिव के माफत, पदेन सचिव राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर तथा जयपुर पीठ में पदस्थापित समस्त न्यायिक अधिकारीगण को वितरित करावे ।
8. उप पंजीयक (न्यायिक), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर पीठ, जयपुर ।
9. समस्त जिला वं सेशन न्यायाधीश को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रांक 17022 दिनांक 08.10.2015 के निर्देशानुसार इस आदेश की प्रतिलिपि आपके न्यायक्षेत्र में पदस्थापित समस्त सम्बंधित पीठासीन अधिकारी/ न्यायालय/कोषालय को वितरित करावे ।
10. निदेशक, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर ।
11. प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक, वर्गीकरण शाखा(वेबसाइट), राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर ।

  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)